

क्रमांक :- प.2(1)साप्र/2/2012

जयपुर, दिनांक 4 OCT 2012

- आदेश :-

डॉ० नीतीश शर्मा, उप निदेशक, परीवीक्षण आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर जिनकी द्वितीय श्रेणी को वरियता संख्या 57/2010 है तथा सेवानिवृति दिनांक 31.8.2035 है के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए "आउट ऑफ टर्न" के आधार पर राजकीय आवास संख्या ॥/64 एवीएस (रिक्त होने की प्रत्याशा में) गांधीनगर, जयपुर का नियमानुसार किराये पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :-

शर्तः-

- आवास का कब्जा आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्भृत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण दो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पली/बच्चों के नाम रो पदश्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- वृक्षों के उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्पीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसी प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस स्थैत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी- कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को शिखावने का श्रम करावें।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:-

  - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदश्थापित रहे हैं।
  - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पली व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
  - डॉ० नीतीश शर्मा से 'कॉमन सुविधा' शुल्क राशि रूपये 300/- (अक्षरे तीन सौ रुपये मात्र) प्रतिमाह सीधे इनके वेतन से कटे जाकर राजकोष में जमा करायें।
  - उपरांकत के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्त भी मान्य होगी।

राज्यालय की आज्ञा से,

(मनफूल दैरवा)  
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सम्पादीय जामुक्त, जयपुर।
- जिला कलक्टर, जयपुर।
- शासन उप सचिव, आयोजना विभाग।
- उप सचिव (पी.पी.) मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी आई.डी. संख्या एफ12004178 दिनांक 6.9.2012 के क्रम में।
- निदेशक, संघपदा विभाग, निजी सचिवालय, जयपुर।
- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
- प्रबन्ध निदेशक, राजकोष, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
- मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
- अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, निजी सचिवालय, जयपुर।
- संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित कराये साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अग्रल में लावें।
- डॉ० नीतीश शर्मा, उप निदेशक, परीवीक्षण आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- श्री भानु प्रकाश एटरु, आई.ए.एस., निवासी ॥/64 एवीएस गांधीनगर, जयपुर।
- निदेशक, उद्धान विज्ञा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
- सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर, जयपुर।
- शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (युप-5) विभाग।
- निजी रायेव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर को उनकी डायरी संख्या 7725/सीएस-1/12 दिनांक 29.8.2012 के क्रम में।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
- रक्षित पत्रावली।

(मनफूल दैरवा)  
शासन सहायक सचिव